कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, बॉम्बे

बनाम

महाराष्ट्र फर फेब्रिक्स लिमिटेड

24 सितंबर, 2002

[सैयद शाह मोहम्मद कादरी और वाई. के. सभरवाल, न्यायाधिपतिगण]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क शुल्क अधिनियम, 1985:

अनुसूची - शीर्षक संख्या 60.01 – निर्धारिती द्वारा उच्च फर से चांदी की बुनाई प्रक्रिया से कपडो का निर्माण - वस्तु को निर्धारिती द्वारा शीर्षक 60.01 के तहत वर्गीकृत किया गया, अधिसूचना संख्या 109/1986-C.E.दिनांक 27.2.1986 के तहत दावा की गई उत्पाद शुल्क से छूट, जैसा कि अधिसूचना संख्या 3/1988 दिनांक 19/1/1988 द्वारा संशोधित किया गया है - अधिसूचना के लिए प्रावधान जिसमें शीर्षक 58.01 के तहत या 60.01 के तहत आने वाले चांदी के ढेर के कपड़ों को शामिल नहीं किया गया है, यदि उत्पाद ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, सिकुड़न, प्रूफिंग, टेंटरिंग, गर्मी - सेटिंग, क्रीज - प्रतिरोधी प्रक्रिया या किसी अन्य प्रक्रिया के अधीन है - तो निर्धारिती का रुख है कि वस्तु को केवल गर्म हवा के स्टेंटर से गुजरकर सुखाया जाना था, प्रक्रिया स्टेंटर करने के बराबर नहीं थी। निर्धारिती के दावे को

न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखते हुये अभिनिर्धारित किया, निर्धारिती द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया स्टेंटरिंग की जैसी प्रक्रिया है, स्वीक्रत रूप से, कपडो को गर्म हवा के जरिये सुखाया जाता है - इजस्डेम जेनरिस का सिद्धांत या कोई अन्य प्रक्रिया अपनाते हुये उसी परिप्रेक्ष्य में समझना होगा जिसमे कि टेंटरिंग को सम्मिलित करते हुये जाना गया है - इस प्रकार स्टेंटरिंग /टेंटरिंग के समान एक प्रक्रिया परंतुक के अर्थ के भीतर आएगी और अधिसूचना का लाभ प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है - क़ानूनों की व्याख्या - इजस्डेम जेनरिस का सिद्धांत।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 685/1995

अपील संख्या ई/4217/90- डी में आदेश संख्या ई/254/95-डी में सी.ई.जी.ए.टी द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 29/4/1994 से उदगमित।

के. स्वामी, के. सी. कौशिक और बी. कृष्ण प्रसाद, अपीलार्थी के लिये।

जोसेफ वेल्लापल्ली, राजन नारायण, सुश्री सोनू भटनागर और अजय अग्रवाल, प्रत्यर्थी के लिए

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

यह अपील केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बॉम्बे के कलेक्टर द्वारा अपील संख्या ई/4217/90-डी दिनांक 29 अप्रैल, 1994 मे आदेश संख्या ई/254/94-डी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') के द्वारा पारित आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित आदेश के जरिये सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') द्वारा कलेक्टर (अपील), बॉम्बे के आदेश को सहायक कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करते हुये अपास्त कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि प्रत्यर्थी अधिसूचना संख्या 109/1986-सीई दिनांक 27 फरवरी, 1986 के लाभ के लिए हकदार है, जैसा कि अधिसूचना संख्या 3/1988 सीई दिनांक 19 जनवरी, 1988 (संक्षेप में, 'अधिसूचना') द्वारा संशोधित किया गया है।

विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह है : क्या प्रत्यर्थी अधिसूचना में डाले गए परंतुक के दायरे में आता है?

प्रत्यर्थी -निर्धारिती चांदी बुनाई की प्रक्रिया के जरिये उच्च फर कपडे का निर्माण करता है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण सूची सं. 1/1987 दिनांक 10 मार्च, 1987 में, उत्पाद को शीर्षक 60.01 के तहत वर्गीकृत किया गया था और उक्त अधिसूचना का लाभ 'शून्य' दर पर कर को आकर्षित करने के दावा किया गया था। इसमें कोई विवाद

नहीं है कि प्रत्यर्थी 19 जनवरी, 1988 तक उक्त अधिसूचना के तहत दी गई छूट का हकदार था, जब उसमे परंतुक रखा गया था।

यहां यह अधिसूचना संख्या 109/1986- सीई दिनांक 27 फरवरी, 1986, को पढ़ने के लिए उपयोगी होगा, जैसा कि अधिसूचना संख्या 3/1988-सीई दिनांक 19 जनवरी, 1988 द्वारा संशोधित किया गया था, को पढना उपयोगी होगा :

"केंद्रीय उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) सहपठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1957 का 5) की अनुसूची के शीर्षक संख्या 58.01 या 60.01 जो कि सूची के अध्याय संख्या 51, 52, , 53, 54 या 55 के तहत आती है, कोई अन्य अधिसूची जो तत्समय प्रभाव मे हो, के तहत आने वाले बुने हुए ढेर कपड़े और चेनिल कपड़े, गुच्छेदार कपड़े और बुने हुए या क्रोकेटेड कपड़ों को छूट देती है, जो उत्पाद शुल्क और उपरोक्त दो अधिनियमों के तहत लागू अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से अधिक है।

बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कुछ भी नही, उक्त अनुसूची के उप-शीर्षक संख्या 6001.12 के तहत आने वाले मानव निर्मित कपड़ा सामग्री के बुने हुए या क्रोकेटेड कपड़े नहीं होंगे और ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, सिकुड़न-प्रूफिंग, टेंटरिंग, हीट-सेटिंग, क्रीज प्रतिरोधी प्रसंस्करण या कोई अन्य प्रक्रिया या इनमें से कोई दो या अधिक प्रक्रियाएँ के अधीन होंगे।

व्याख्याः- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, 'संबंधित बुने हुए कपड़े' अभिव्यक्ति का अर्थ है, अध्याय 51,52,53,54 या 55 में निर्दिष्ट कपड़े जो बुने हुए या क्रोकेटेड कपड़ों से मेल खाते हैं, उस पर की गई प्रक्रिया या प्रतिवर्ग मीटर कपडे के मूल्य या उसमे निहित टैक्सटाईल सामग्री के संदर्भ मे।

यह अधिसूचना 28 फरवरी 1986 को लागू होगी।

अधिसूचना से पता चलता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की अनुसूची के शीर्षक 58.01 या 60.01 के तहत आने वाले सिल्वर पाइल फैब्रिक्स के लिए उपलब्ध लाभ तब समाप्त हो जाता है जब उत्पाद ब्लीचिंग, रंगाई, मुद्रण, सिकुड़न प्रूफिंग, टेंटरिंग, हीट-सेटिंग, क्रीज-प्रतिरोधी प्रसंस्करण या किसी अन्य प्रक्रिया या इनमें से किसी भी दो या अधिक प्रक्रियाओं के अधीन होता है।

अधिसूचना के प्रावधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि न केवल ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, सिकुड़न प्रूफिंग, टेंटरिंग, हीट-सेटिंग, क्रीज-प्रतिरोधी प्रसंस्करण की प्रक्रिया का सहारा लेना, बल्कि "किसी भी प्रकार के प्रक्रमण" या कोई अन्य प्रक्रिया या इनमें से कोई भी दो या अधिक प्रक्रियाएं, का भी सहारा लेना, प्रत्यर्थी छूट का लाभ खो देगा। यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि विशेष अभिव्यक्तियों का पालन करने वाले सामान्य शब्द अपने रंग और अर्थ को पूर्ववर्ती अभिव्यक्तियों के रूप में लेते हैं, जो कि इजसडेम जेनरिस नियम के सिद्धांत को लागू करते हैं, इसलिए,"या किसी अन्य प्रक्रिया " शब्दों का अर्थ लगाने में, विशिष्ट अभिव्यक्तियों के आयात को मस्तिष्क में रखना होगा। जिसमें शब्दों "या किसी अन्य प्रक्रिया" को उसी अर्थ में समझना होगा जिसमें प्रक्रिया, टेंटरिंग शामिल है। यह समझा गया, स्टेंटरिंग/टेंटरिंग के समान एक प्रक्रिया परंतुक के अर्थ में आएगी और इसके परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी द्वारा अधिसूचना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

सहायक कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पनवेल प्रभाग द्वारा जारी कारण बताने के नोटिस के जवाब में प्रत्यर्थी ने कहा, "ऐक्रेलिक पायस पानी आधारित है और इसलिए कपड़े को सुखाना होता है, इस उद्देश्य के लिये इसे गर्म हवा के स्टेंटर से गुजारना होता है।" प्रत्यर्थी ने मशीन

के निर्माता द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों के संदर्भ में यह कहने की कोशिश की कि यह प्रक्रिया स्टेंटरिंग के बराबर नहीं है।

सहायक कलेक्टर ने पाया कि प्रत्यर्थी स्टेंटरिंग प्रक्रिया का उपयोग कर रहा था। अपील में, कलेक्टर (अपील), प्रत्यर्थीगण की फैक्ट्री में निर्माण की प्रक्रिया का निरीक्षण करते हुये, सहायक कलेक्टर के विचार की पुष्टि की कि स्टेंटरिंग प्रक्रिया को प्रत्यर्थी के लिये बहाल किया जा रहा था। हालांकि, प्रत्यर्थी द्वारा आगे की अपील पर, न्यायाधिकरण ने विशेषज्ञ की राय और "स्टेंटरिंग" और "टेंटरिंग" शब्दों के शब्दकोश अर्थ का उल्लेख करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि स्टेंटरिंग/टेंटरिंग की कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही है।

यहां तक कि न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए कि प्रक्रिया सख्ती से स्टेंटरिंग के बराबर नहीं है, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया स्टेंटरिंग के समान है, क्योंकि यह स्वीक्रत है कि प्रत्यर्थी गर्म हवा के स्टेंटर से गुजरकर कपड़े को सुखा रहा है।

मामले के इस दृष्टिकोण में, परंतुक स्पष्ट रूप से लागू होता है और इसलिए, प्रत्यर्थी अधिसूचना के लाभ का हकदार नहीं है। अपील के तहत आदेश अपास्त किया जाता है।

तदनुसार, सिविल अपील स्वीकार की जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

अपील स्वीकार की गई।

□□□□□□□□□- □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □ □ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ □ □□□□□ □ □□ □ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □ □ □ □ □□ □ □ □ □□□□□ □ □ □□□□ □□□□□□□□